झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–11 वर्ष 2021

हरि लाल मेहता उर्फ हरि लाल महतो .... याचिकाकर्त्ता(गण)

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी(गण)

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्दा सेन**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम स

याचिकाकर्त्ता(गण) के लिए :– श्री अनिल कु0 सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री तापस रॉय, ए0पी0पी0।

02 / 25.01.2021 अधिवक्ता को कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आज सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

2. पक्षों के अधिवक्ता को सुना।

3. इस याचिका को दायर करके, याचिकाकर्त्ता ने दिनांक 04.09.2018 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-VIII, हजारीबाग ने जी0आर0 संख्या 1871 / 2012 (सत्र विचारण संख्या 369–ए / 2015) के अनुरूप, विष्णुगढ़ थाना काण्ड संख्या 77 / 2012 के संबंध में याचिकाकर्त्ता के खिलाफ दं0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की है। इसके बाद 25.03.2019 के आदेश से

दं0प्र0सं0 की धारा 83 के तहत प्रक्रिया जारी की गई है, जिसे भी रद्द करने की आवश्यकता है।

4. सीआर0एम0पी0 संख्या 2722/2019 (मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश को पारित करते समय विवेक का उपयोग नहीं किया गया है। वह आगे कहते हैं कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रिया जारी करते समय प्रक्रिया और आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया है और इस प्रकार आक्षेपित आदेश बिल्कुल खराब है। वह आगे कहते हैं कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ क्या सामग्री है, जो यह बताती है कि याचिकाकर्त्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था, को भी आक्षेपित आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है।

5. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने आक्षेपित आदेशों में व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज नहीं की है, जो कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए आवश्यक है। बहुत ही यांत्रिक तरीके से और विवेक का उपयोग किए बिना साथ–ही–साथ व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज किए बिना दं0प्र0सं0 की धारा 82 और 83 के तहत याचिकाकर्त्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी किया गया है। इस प्रकार का आदेश, जो गैर–बोलने वाला है और विवेक के अनुप्रयोग को दर्शाता है, को कानून की नजर में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय ने सीआर0एम0पी0 सं0 2722/2019 (मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम और अन्य बनाम

झारखण्ड राज्य) में विस्तार से इस मुद्दे से निपटा है। यह अभिनिर्धारित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन प्रक्रिया जारी करते समय न्यायालय को अपने विवेक का उपयोग करना होगा और प्रक्रिया और आवश्यकताओं के धाराओं में निर्धारित किए गए हैं, का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। निचली अदालत ने काई व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज नहीं की है, जो आक्षेपित आदेशों का कानून के नजर में खराब बनाता है।

6. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, मुझे पता चलता है कि दिनांक 04.09. 2018 और 25.03.2019 के आक्षेपित आदेश कानून के प्रावधान के साथ–साथ इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश, इसके द्वारा, अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।

7. तद्नुसार, इस याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

8. निचली अदालत को कानून के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(आनन्दा सेन, न्याया0)